

# न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 34 / 2019 FSSA

1. सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री गोविन्द राम शर्मा पुत्र श्री भरतलाल शर्मा निवासी गनीपुर रोड सिकराय ।  
मैसर्स बालाजी पनीर उद्योग, गनीपुर रोड सिकराय दौसा ।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित ।  
: अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 स्वयं उपस्थित ।

—: आदेश :—

दिनांक:— 13.11.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएसए/एफएसओ/637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा आवेदक को कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये है और दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 03.07.2019 को दोपहर बाद 01:15 बजे मैसर्स:— बालाजी पनीर उद्योग, गनीपुर रोड, सिकराय, जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान निर्माण स्थल पर विक्रेता श्री गोविन्द राम शर्मा पुत्र श्री भरत लाल शर्मा निवासी गनीपुर रोड, सिकराय उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान निर्माण स्थल पर एल्यूमिनियम के भगोने में करीब 20 किग्रा पनीर आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर एक स्टील की ट्रे में 1 किलोग्राम पनीर नमूने की जाँच हेतु हिला मिलाकर खरीदा। जिसकी कीमत 240 रुपये नकद देकर माल खरीद रसीद प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा पनीर को चार साफ सूखी खाली बोतलों में बराबर-बराबर डालकर फार्मलिन की 20-20 बूंदे डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया व लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर किनारो को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.— 2190 उपर से नीचे पूरे राउण्ड में गोंद

न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा



से चिपकाकर बोटलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोटलों को चार-चार जगह से उपर नीच दोनो साइडों में चपड़ी से सील मोहर कर बोटलों पर एफबीओ (विक्रेता)के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये व गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील्ड बन्द बोटलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं० 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोटल एक आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर तथा फार्म नं० 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोटल व फार्म नं० 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 04.07.2019 को खाद्य विश्लेषक के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोटल व फार्म नं० 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 04.07.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोटल व फार्म नं० 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 05.07.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ पनीर के नमूने की खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /359/एक्ट/2019/372 दिनांक 16.07.2019 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./359/एक्ट/2019/372 दिनांक 16.07.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पनीर के नमूने में फैट की मात्रा 11.04 प्रतिशत ही पायी गई है जो कि 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी के यहां से पूर्व में लिये गये सभी नमूने मानक स्तर के पाये गये है। दूध में या पनीर बनाने की प्रक्रिया में किसी कमी के कारण सबस्टैण्डर्ड हो सकता है। हमारे द्वारा ना तो दूध में से क्रीम निकाली जाती है और ना ही फेट में किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रथम बार कारित भूल के लिये कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया गया।

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. /359/एक्ट/2019/372 दिनांक 16.07.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पनीर के नमूने में फैट की मात्रा निर्धारित मानको से कम पाये जाने के कारण खाद्य पदार्थ पनीर को सबस्टैण्डर्ड घोषित किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।



उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन होने से अपसाध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री गोविन्द राम शर्मा पुत्र श्री भरतलाल शर्मा एफबीओ मैसर्स:-बालाजी पनीर उद्योग, गनीपुर रोड, सिकराय, जिला दौसा पर 10,000/- ( अक्षरे दस हजार रुपये ) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 13.11.2019 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



क्रमांक / 2527-29

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज० जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री गोविन्द राम शर्मा पुत्र श्री भरतलाल शर्मा एफबीओ मैसर्स:-बालाजी पनीर उद्योग, गनीपुर रोड, सिकराय, जिला दौसा।

( लोकेश कुमार मीना )  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा  
दिनांक:- 29 .11.2019

( लोकेश कुमार मीना )  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा